

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी: अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:-47/2024 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कैलाश पिता रामा जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी रुगनाथपुरा, पटवार हल्का रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. बालूलाल पिता मोहन जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी रुगनाथपुरा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमा पिता ज्वारा (जवाहर) जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी रुगनाथपुरा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. देईलाल पिता ज्वारा (जवाहर) जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी रुगनाथपुरा पटवार हल्का रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक कारोई तह0 भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188-92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा बाबत

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टि.ए.

उपस्थित अधिवक्ता-

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री भैरूलाल बाफना
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत

निर्णय दिनांक 14/8/25

प्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता श्री भैरूलाल बाफना द्वारा दिनांक 11.11.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 47/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील भीलवाड़ा में आराजी संख्या 729, 730, 731, 732 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1001 हैक्टर भूमि स्थित है।

उक्त आराजियात में प्रार्थी सं. 1 कैलाश पिता रामा कुम्हार का 1/100 हक हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 बालूलाल कुम्हार के पिता मोहन कुम्हार पिता लालू जी कुम्हार का 1/12 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। खातेदार मोहन जी कुम्हार का देहान्त हो गया है जिनका वारिस प्रार्थी संख्या 2 बालूलाल है। इसी प्रकार उक्त आराजियात में विपक्षी संख्या 1 खेमा पिता ज्वारा का 1/24 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 2 देईलाल पिता ज्वारा का 1/6 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजियात के खाते में दर्ज अन्य सहखातेदारान के हक हिस्से के संबंध में कोई विवाद नहीं है और न ही वे इस भूमि का अंतरण किसी अन्य को कर रहे है जिससे उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।

उक्त वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगण सं. 1 व 2 व उनके भाइयों के बाप दादाओं ने उनके हिस्से की 1 बीघा भूमि हम प्रार्थीगण के बाप दादाओं को बेच दी थी और तभी से अर्थात् करीब 90-100 वर्षों से विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हक हिस्से की भूमि पर हम प्रार्थीगण के बाप दादाओं व उनके बाद हम प्रार्थीगण का ही कब्जा निरंतर चला आ रहा है। उक्त आराजियात के खाते से विपक्षीगण का नाम नहीं कटा है और उक्त आराजियात अभी अविभाजित अवस्था में ही चली आ रही है किन्तु कब्जा हम प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है

14
15/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी सं. 1 व 2 के बाप दादाओं से उक्त वादग्रस्त आराजियात में उनके हिस्से की 1 बीघा भूमि प्रार्थीगण के बाप दादाओं ने क्रय कर ली थी जिस पर कब्जा प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है और उक्त वादग्रस्त आराजियात का अभी तक विधिवत विभाजन भी नहीं हुआ है किन्तु उक्त आराजियात अभी तक विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज होने से वे इसका नाजायज लाभ उठाकर उक्त आराजियात में दर्ज उनके हक हिस्से को खुर्द-बुर्द अंतरित व भारित करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त आराजियात पर उनका कोई कब्जा नहीं है जिससे विपक्षी सं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिबंधित व पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त आराजियात किता 4 रकबा 1.1001 हैक्टेयर भूमि में अभिलिखित उनके हिस्से की भूमि को खुर्द-बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे और न ही हम प्रार्थीगण को इस भूमि से बेदखल करे। विपक्षी सं. 3 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित व पाबंद कराया जावे कि अगर विपक्षी सं. 1 व 2 उक्त वादग्रस्त आराजियात में दर्ज उनके हिस्से के अंतरण का कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे तथा विपक्षी सं. 4 उक्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में न्यायालय की आज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं करे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण पारित करायी जाना आवश्यक है ।

साथ ही विकल्प में यह भी निवेदन है कि चूंकि विपक्षीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के पूर्वजों को बेचकर कब्जा दे दिये जाने के बावजूद यह भूमि विरासत से प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज नहीं हो पायी और यह भूमि अभी तक विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर ही दर्ज चली आ रही है जिसका नाजायज लाभ उठाने की नीयत से अगर विपक्षी सं. 1 व 2 उक्त भूमि पर उनका कब्जा नहीं होते हुए भी इस भूमि का विक्रय करे तो इस भूमि को क्रय करने का प्रथम अधिकार प्रार्थीगण को है क्योंकि हम इस भूमि के सहखातेदार हैं इसलिये विपक्षी सं. 1 व 2 को आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे इस भूमि को कागजी तौर पर किसी अन्य को विक्रय नहीं करे और अगर विक्रय करे तो प्रार्थीगण को ही विक्रय करें किसी अन्य को विक्रय नहीं करे ।

प्रार्थीगण ने उक्त अनवान व तथ्यों का एक वादपत्र न्यायालय आप में पेश कर दिया है जो ठोस कानूनी तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य डिक्री होगा। वादपत्र में वर्णित तथ्य इस प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है ।

प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

अगर ताफैसला वाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे हम प्रार्थीगण को हमारे कब्जे की भूमि को खुर्द-बुर्द अंतरित कर देंगे तथा हमें उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे जिससे मुझ प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी एवं प्रार्थीगण का यह वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा और पक्षकारान् के मध्य अनेक प्रकार की मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी ।

अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरलां तहसील भीलवाड़ा में स्थित वादग्रस्त आराजियात किता 4 रकबा 1.1001 हैक्टेयर भूमि में अभिलिखित उनके हिस्से की भूमि को खुर्द-बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे और न ही हम प्रार्थीगण को इस भूमि से बेदखल करे। विपक्षी सं. 3 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित व पाबंद कराया जावे कि अगर विपक्षी सं. 1 व 2 उक्त वादग्रस्त आराजियात में दर्ज उनके हिस्से के अंतरण का कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे तथा विपक्षी सं. 4 उक्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में न्यायालय की आज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं करे ।

14/8/25
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थनापत्र का विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से निम्न जवाब दिनांक 23.05.2025 को सादर पेश कर निवेदन किया कि-

वादाग्रस्त कृषि भूमियों ग्राम लापलिया खेड़ा में सामलाती तौर पर दर्ज रेकार्ड होना स्वीकार है किन्तु प्रार्थीगण ने अन्य सहखातेदारों को पक्षकार कायम नहीं किया है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर चलने योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र कृषि भूमि से संबंधित है और सभी खातेदारों की सामलाती भूमि है इसलिये सभी खातेदार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, इसलिये पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक एवं लाजमी है तथा उक्त चरण में प्रार्थीगण ने हक हिस्से बाबत कोई भी विवाद नहीं बताया है एवं जमाबन्दी में हक हिस्से का स्वीकार कर लिया है इसलिये आगे कोई भी विवाद हक हिस्से बाबत नहीं कर सकते हैं। प्रार्थीगण ने जमबान्दी को स्वीकार किया है जो अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें वर्णित प्रत्येक भूमि में सभी खातेदारों का इंच इंच भूमि पर कब्जा एवं हिस्सा माना जायेगा। प्रार्थीगण ने जानबुझकर अन्य खातेदारों का पक्षकार कायम नहीं किया है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थीगण ने रिकॉर्ड ऑफ राईट्स जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्से को स्वीकार कर लिया है तो फिर कोई विवाद शेष नहीं रह जाता है तथा प्रार्थीगण को विपक्षीगण के बाप दादाओं ने कोई भी भूमि विक्रय नहीं की थी एवं प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है तथा प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भूमि किसने किसको विक्रय की थी मात्र कयासी तौर पर तथ्य दर्ज किये हैं तथा सामलाती एवं अविभाजित भूमि होने से किसी भी खातेदार का विशिष्ट भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता है।

विपक्षी संख्या 01 व 02 के बाप दादाओं ने कोई भी भूमि का विक्रय प्रार्थीगण के बाप दादाओं को नहीं किया था। प्रार्थीगण जबरन विपक्षी की भूमि को हडपना चाहते हैं इसलिये मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने हक हिस्से बाबत कोई भी विवाद नहीं बताया है, इसलिये जमाबन्दी में वर्णित अनुसार सामलाती भूमि पर सभी काशतकारों का कब्जा माना जायेगा तथा भूमि आज दिनांक तक अविभाजित होकर मौके पर सामलाती तौर पर कब्जा काशत एवं उपयोग उपभोग है। प्रार्थीगण ने विशिष्ट भूमि पर कब्जा होना बताया है किन्तु जमाबन्दी में दर्ज सभी काशतकारों को पक्षकार कायम नहीं किया है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण ने हक हिस्से को स्वीकार किया है इसलिये विपक्षी अपने हक हिस्से अनुसार काशत कर रहे हैं तथा जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के खातेदार काशतकार होने से अपने नाम से दर्ज भूमि को रहन बय बक्षीश करने के लिये स्वतन्त्र है। विपक्षीगण को किसी भी प्रकार से प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है एवं प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

विपक्षीगण एवं उनके बाप दादाओं ने कोई भी भूमि का बेचान नहीं किया था एवं ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं हुआ है। प्रार्थीगण ने आधारहीन एवं झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। पूर्वक्रयाधिकार के अधिकार के आधार पर कोई भी आदेशात्मक आज्ञा एवं डिक्री न्यायालय श्रीमान के द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। सामलाती भूमि पर किसी भी खातेदार का विशिष्ट भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता है।

उक्त अनवान का वादपत्र मनगढन्त एवं गलत तथ्यों के आधार पर आधारित होने से अवश्यमेव ही खारिज होगा।

प्रार्थीगण का कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं है सामलाती भूमि जब तक विभाजित नहीं हो जाती तब तक सामलाती कब्जा नहीं माना जायेगा एवं सामलाती भूमि का लगान निर्धारण भी सामलाती तौर पर ही होता है एवं खसरा गिरदावरी रिपोर्ट में भी सामलाती कब्जा बताया जाता है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को पाबन्द किया गया तो प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगे इसलिये सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी विपक्षीगण के ही पक्ष में है।

सामलाती भूमि होने से किसी भी एक खातेदार को अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उल्टा विपक्षीगण को पाबन्द किया गया तो विपक्षीगण अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने से महरूम हो जायेगे जिससे विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।


सहायक कमिश्नर
भीलवा

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से सव्यय विरुद्ध विपक्षीगण के खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 03 की तलबी होकर सम्मन दिनांक 05.05.2025 को प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 4 के सम्मन बाद तामील दिनांक 06.06.2025 को प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के औपचारिक पक्षकार होने से पत्रावली में जवाब दिनांक 06.06.2025 को बंद किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना आवश्यक है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला-

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगण संख्या 01 व 02 व उनके भाइयों के बाप दादाओं ने उनके हिस्से की 1 बीघा भूमि हम प्रार्थीगण के बाप दादाओं को बेच दी थी और तभी से अर्थात् करीब 90-100 साल से विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हक हिस्से की भूमि पर हम प्रार्थीगण के बाप दादाओं व उनके बाद हम प्रार्थीगण का ही कब्जा निरंतर चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजियात के खाते से विपक्षीगण का नाम नहीं कटा है और उक्त आराजियात अभी अविभाजित अवस्था में ही चली आ रही है किन्तु कब्जा हम प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। अतः विपक्षी संख्या 01 व 02 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिबंधित व पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को खुर्द-बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे और न ही हम प्रार्थीगण को इस भूमि से बेदखल करे। विपक्षी संख्या 03 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित व पाबंद कराया जावे कि अगर विपक्षी संख्या 01 व 02 उक्त वादग्रस्त आराजियात में दर्ज उनके हिस्से के अंतरण का कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे तथा विपक्षी संख्या 04 उक्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में न्यायालय की आज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं करे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थनापत्र कृषि भूमि से संबंधित है और सभी खातेदारों की सामलाती भूमि है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड को स्वीकार किया है जो अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें वर्णित प्रत्येक भूमि में सभी खातेदारों का इंच इंच भूमि पर कब्जा एवं हिस्सा माना जायेगा। प्रार्थीगण ने जानबुझकर अन्य खातेदारों का पक्षकार कायम नहीं किया है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के बाप दादाओं ने कोई भी भूमि विक्रय नहीं की थी एवं प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है तथा प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भूमि किसने किसको विक्रय की थी मात्र कयासी तौर पर तथ्य दर्ज किये हैं तथा सामलाती एवं अविभाजित भूमि होने से किसी भी खातेदार का विशिष्ट भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीगण ने हक हिस्से बाबत कोई भी विवाद नहीं बताया है, इसलिये जमाबन्दी में वर्णित अनुसार सामलाती भूमि पर सभी काश्तकारों का कब्जा माना जायेगा। विपक्षीगण को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है एवं प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सामलाती दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण ने विक्रय बय बक्षीश का कोई भी दस्तावेज अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश नहीं किया है। सहखातेदारी अविभाजित भूमि के संबंध में अन्य सहखातेदारों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहे हैं।

18
05/06/25
सहायक कलक्टर

2. सुविधा का संतुलन-

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सहखातेदारी भूमि होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध सुविधा का संतुलन प्रमाणित होने की स्थिति से अवगत करवाया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि अविभाजित होने से प्रत्येक इंच-इंच भूमि पर सभी खातेदारान का संयुक्त कब्जा होना उपधारित किया जायेगा जब तक कि उक्त भूमि का विभाजन नहीं हो जाता।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।

3. अपूरणीय क्षति-


प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 व 2 के बाप दादाओं ने उनके हिस्से की 1 बीघा भूमि प्रार्थीगण के बाप दादाओं को विक्रय कर दी थी, जिस पर कब्जा प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है और उक्त वादग्रस्त आराजियात का अभी तक विधिवत विभाजन भी नहीं हुआ है किन्तु उक्त आराजियात अभी तक विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज होने से वे इसका नाजायज लाभ उठाकर उक्त आराजियात में दर्ज उनके हक हिस्से को खुरद-बुर्द से वे इसका अंतरित व भारित करने पर आमादा हो रहे हैं जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि उक्त आराजियात पर विपक्षी संख्या 01 व 02 का कोई कब्जा नहीं है जिससे विपक्षी सं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिबंधित व पाबंद कराया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा कोई भी विक्रय या बक्षीश का कोई भी दस्तावेज अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश ही किया हो।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 0 व 02 अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में सफल रहे हैं तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित करने में असफल रहे हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील भीलवाड़ा में आराजी संख्या 729, 730, 731, 732 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1001 हैक्टर भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अविभाजित कृषि आराजियात के सहखातेदार है तथा सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का, सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक इंच पर समान हक अधिकार एवं कब्जा होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता है तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे हैं। अतएवं

-: आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.11.2024 को प्रत्याहरित किया जाता है।
आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।


(अरुण कुमार जैन)
सहसंयोजक कर्नलक्टर
भीलवाड़ा